वित्तीय स्वीकृति

संख्या-23/2024/771/18-2-2024-18-2099/284/2022

प्रेषक

पुष्पे सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उ0प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 09 मई, 2024

विषयः- मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-32/17-एम0एस0एम0ई0/बजट/मु.मं.सू.उ.दु.बी.यो./2024-25, दिनांक 01-5-2024 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से रू0 5.00 करोड़ (रूपये पांच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये मा0 राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने एवं व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर तदनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

3. लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। धनराशि का भुगतान चेक अथवा नगद नहीं किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से शासन तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5. प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गए मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 39/2023/694/18-2-2023-18-2099/177/2023, दिनांक 30-6-2023 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग आहरण वितरित करने से पूर्व आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित कर लेंगे।

7. वर्तमान में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता (Compendium of Instructions on Model Code of Conduct) लागू है। अतः उक्त आदर्श आचार संहिता के प्राविधानानुसार धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व आयुक्त एवं निदेशक उद्योग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त प्रस्ताव से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा।

8. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 "लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-32-मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

पुष्पे सिंह
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पुष्पे सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।